Web Copy - Not Official

मांगीलाल बनाम धन्नीदेवी

5-7-13

अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–07–2013 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार मानते हुए एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना कानून सम्मत एवं न्याय संगत नहीं मानते हुए अपीलांट/प्रार्थी का एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश का निवेदन अस्वीकार किया गया है तथा प्रकरण आईंदा सुनवाई हेतु निर्धरित किया गया है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–13 एक अंतरिम आदेश है तथा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को सुनवाई/जवाब के लिए दिनांक 01–8–13 निर्धारित की हुई है। इसलिए अपीलांट अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण करते हुए अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारणीय नहीं होने के कारण निष्प्रभावी धोषित करते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner